(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 35–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भितरवार जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 20/2012–13/अपील.

.....

सुमत प्रकाश जैन पुत्र श्री शांतिलाल जैन,
निवासी ग्राम भितरवार तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

प्रेम बाई पत्नि श्री शांतिलाल जैन
निवासी ग्राम भितरवार तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर

.....अनावेदिका

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक– आवेदक
श्री आर0एस0सेंगर, अभिभाषक– अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5/2/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार भितरवार के आदेश दिनांक 30–1–12 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 22–12–12 को लगभग 10 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 22–12–2012 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर

प्रकरण गुणदोष पर नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस प्रकरण में केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है अथवा नहीं ? आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदिका को आवेदक के पक्ष निष्पादित वसीयतनामें की जानकारी प्रारंभ से रही है एवं तहसील न्यायालय में नामान्तरण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की जानकारी भी अनावेदक को थी क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा होने तथा आवेदक को उसके पिता द्वारा भूमि दिया जाना अनावेदिका एवं उसके पति द्वारा स्वीकार किया गया है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदिका द्वारा लगभग 11 माह बाद प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी और विलम्ब क्षमा का समुचित कारण आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय को विलम्ब क्षमा करने की अधिकारिता नहीं थी इसके बावजूद भी अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है ।

तर्क के समर्थन में 2000 आरएन 153 एवं 2011 आरएन 310 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा बिना मृतक शांतिलाल के वारिसान को पक्षकार बनाये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि शांतिलाल के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाकर सूचना दी जाना चाहिये थी । इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नामान्तरण नियम 27 का उल्लघंन किया गया है और तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी अनावेदिका को कतई नहीं थी, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(2) आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में और तर्क में अनावेदिका को जानकारी होने का तथ्य पूर्णतः असत्य उल्लिखित किया गया है ।

(3) अधिकारिता संबंधी प्रश्न को छोडकर विलम्ब क्षमा किये जाने के आदेश में निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, इस कारण अनावेदिका को तहसीलदार के आदेश की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर